Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide compensation to farmers who suffered crops damage due to heavy rainfall in Gujarat.

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए वक्त दिया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में इस बार बेमौसमी बारिश होने के कारण हमारे यहां के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जैसे अरंडी, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा तथा कठोल सहित सभी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गुजरात गवर्नमेंट ने उसके लिए सर्वे का आदेश भी दे दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन बीमा कंपनियों की लापरवाही की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। बीमा कंपनियों की जो 72 घंटे की तय समय सीमा है, उसमें संशोधन करने करने की आवश्यकता है। इन कंपनियों का जो टोल फ्री नंबर है या ऑफिसर्स का मोबाइल नंबर है, उस पर कोई फोन ही नहीं उठाता है, इसलिए किसान अपनी राय नहीं रख सकता है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि 72 घंटे की जो तय समय सीमा है, उसमें भी सुधार किया जाए। जब वहां कोई सर्वे करने के लिए जाए, तो उस वक्त भी किसानों की राय लेनी चाहिए। दूसरा, हमारे यहां अरंडी का पार्क है, उसमें बेमौसमी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है और उसमें कीड़े लग गए हैं। इसको इंगलिश में सेमी लूपर कहा जाता है। उसकी वजह से किसानों का सारे के सारे पार्क्स नष्ट हो गए हैं। महोदय, वहां किसानों को सहायता देने के लिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।